2017/25

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

रसद अपील संख्या –29 / 2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
दुर्गाप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी मांझी तहसील डेगाना जिला नागौर		जिला रसद अधिकारी नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री सवाई सिंह प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ।

निर्णय दिनांक 27.07.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीन धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत् विभागीय प्रकरण संख्या 521 / 2016 में जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2017 के विरूद्ध दिनांक 02.03.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट दुर्गाप्रसाद उचित मूल्य दुकानदार मांझी की अस्थाई रूप से संचालन हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान राजलौता का उपभोक्ता पखवाडे के दौरान दिनांक 14.11.2016 को जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रिय प्रवर्तन निरीक्षक एंव प्रवर्तन निरीक्षक जायल द्वारा ग्राम राजलौता में आकस्मिक निरीक्षण / जांच के दौरान अपीलांट डीलर स्वंय मौके पर संचालित उचित मूल्य दुकान राजलौता पर उपस्थित नहीं मिले, जबकि अवैध रूप से सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वक्त जांच श्री रामनिवास पुत्र श्री कानाराम जाति जाट निवासी मेहराणा द्वारा राशन सामग्री का अनाधिकृत रूप से वितरण कार्य करना पाया। इसके अलावा मौके पर कैलाश चंद पुत्र श्री कानाराम जाति जाट निवासी मेहराणा द्वारा राशन सामग्री का अनाधिकृत रूप से वितरण कार्य करना पाया इसके अलावा मौके पर सहायक के रूप में संचालन करना पाया। तत्समय मौका जांच फर्द अनुसार मौके पर संचालित उचित मूल्य दुकान / गोदाम राजलौता में रामनिवास एंव कैलाशचंद की उपस्थिति में उपलब्ध राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन हेतु पोश मशीन पर दर्ज स्टॉक की स्थिति देखी गई जिसके आधार पर 18.90 क्वि. गेहूं, 84 लीटर केरोसीन ही स्टॉक में भौतिक रूप में उपलब्ध होनी चाहिए परन्तु वहां सिर्फ 5 क्विं गेहूं, 84 लीटर करोसीन ही भौतिक रूप से उपलब्ध पाये गये। इस प्रकार स्टॉक में 13.90 क्वि. गेहू एंव 3 किलो 700 ग्राम लेवी चीनी कम पाई गई। मौके पर वक्त जांच व्यवसाय स्थल पर प्राधिकार पत्र, दुकान का नक्शा एंव स्टॉक रजिस्टर का होना नही पाया गया, व्यवसाय स्थल पर स्टॉक एंव मूल्य सूची पट्ट की पूर्ति व सहज पठनीय होना नहीं पाया, व्यवसाय स्थल पर केरोसीन वितरण हेतु अप्रामाणिक लोहे के नाप व आधा लीटर केरोसीन माप हेतु प्लास्टिक का नाप का होना पाया गया जो कि विभाग के निर्देशों का उल्लंघन है यदि तकनीकी खराबी के कारण पोश मशीन खराब हो या नेटवर्क की अनुपलब्धता निरीक्षणकर्ता वक्त जांच स्टॉक का संधारण नियमित रूप से किया जायेगा, किन्तु इस उचित मूल्य दुकान का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना पाया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार डीलर स्तर पर बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्यालय स्तर पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला गम्भीर प्रकृति का पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के खण्ड

कलक्टर, नागौर

8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 15.11.2016 से अपीलांट डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया।

अपीलांट ने प्रकरण में जारी कारण बताओं नोटिस का दिनांक 26.12.2016 को प्रस्तुत स्पस्टीकरण में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलांट की दुकान व दुकान के पास स्थित कमरे में 13.90 क्वि. गेहूं एंव 3 किलो 700 ग्राम लेवी चीनी रखी हुई थी, अपीलांट की अस्थाई दुकान होने से अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र नक्शा अपीलांट की मूल दुकान पर था। अपीलांट द्वारा अब मूल्य एंव स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन निर्धारित प्रपत्र में कर दिया गया तथा भविष्य में लौहे के माप से ही केरोसीन का वितरण करने की वचनबद्धता जाहिर की वगैराह का उल्लेख कर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया।

रेसपोडेन्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, इसलिये आदेश जैर अपील अपास्त होने योग्य है। जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है वह स्वयं रेस्पोडेंट द्वारा ही तैयार की गई है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट उक्त प्रकरण में न्यायिक मस्तिष्क का सही रूप से उपयोग लेने की स्थिति में ही नहीं थे, क्योंकि जब रेस्पोडेंट ही जांच करता था तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा उक्त अपीलांट के विरूद्ध निर्णय करना तो पहले से ही तय कर लिया था। इसलिये उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया ही दूषित हो गई। इसलिये रेस्पोडेंट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट ने मौका जांच फर्द को निर्णय का आधार बनाने में भी कानूनी त्रुटी की है क्योंकि न तो उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट के सामने बनाई गई और न ही उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना दी गई। बल्कि रेस्पोडेंट व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपीलांट से राजनैतिक द्वेषता रखने वाले लोगो के सिखावे में आकर गलत रिपोर्ट तैयार की है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट ने दिनांक 26.12.2016 को जवाब पेश कर साक्ष्य के लिए अवसर चाहा, किन्तु उक्त जांच रिपोर्ट रेस्पोडेंट द्वारा ही बनाई गयी थी, इसलिये उसने बिना सोच विचार किये ही पूर्व नियोजित निर्णय को अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही जल्दबाजी में दिनांक 02.02.2017 को पारित करने में त्रुटी की है। अपीलांट ने दिनांक 26.12.2016 को साक्ष्य सबूत के लिये अवसर दिया किन्तु रेस्पोडेंट ने साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिया बिना ही जल्दबाजी में दुसरी तारीख पेशी पर बिना बहस सुने ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया।

वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में दौराने बहस सूची दस्तावेज के साथ फर्द मौका चार्ज दिनांक 24.11.16 प्रस्तुत कर कथन किया कि जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश कमांक–रसद/प्राधि./2016/1611 की अनुपालना में ग्राम राजलोता में दुर्गाप्रसाद अस्थाई दुकानदार मांझी से कार्यभार नौरतीदेवी डीलर लूणिया को पोस मशीन, गेहूँ, केरोसीन, चीनी, स्टाक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर का हस्तान्तरण किया गया है, उक्त मौका चार्ज रिपोर्ट पर प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना व जिला रसद अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त फर्द मौका चार्ज रिपोर्ट के अनुसार जो गेहूँ, व चीनी विभाग द्वारा कम होना बताई गई वह अपीलान्ट द्वारा नौरती देवी डीलर लूणियास को सुपुर्द कर दी गई है, का कथन करते हुऐ अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश जैर अपील अपास्त करने का निवेदन किया है।

श्री सवाईसिंह प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार की अस्थाई रूप से संचालन हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान राजलौता का दौरान निरीक्षण दिनांक 14.11.2016 को जिला रसद अधिकारी नागौर के नेतृत्व में क्षैत्रिय प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन निरीक्षक जायल द्वारा निरीक्षण/जॉच के दौरान अपीलांट डीलर स्वंय उचित मूल्य दुकान राजलौता पर उपस्थित नहीं मिला एवं बिना अनुमति वक्त जॉच रामनिवास द्वारा राशन सामग्री का अनाधिकृत रूप से वितरण कार्य करना पाया गया तथा श्री कैलाशचन्द द्वारा सहायक के रूप में संचालन करना पाया। मौके पर श्री रामनिवास एवं कैलाशचन्द्र की उपस्थिति में उपलब्ध राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन्न में पोश मशीन पर दर्ज स्टॉक की स्थिति के अनुसार 18.90 क्विं गेहूँ एवं 3 किलो 700 ग्राम चीनी स्टॉक में उपलब्ध होनी चाहिए परन्तु उचित मूल्य

दुकान में 13.90 क्विं गेहूँ एवं 3 किलो 700 ग्राम लेवी चीनी कम पाई गई। मौके पर वक्त जॉच प्राधिकार पत्र, दुकान का नक्शा एवं स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया, स्टॉक एवं मूल्य सूची पट्ट की पूर्ति व सहज पठनीय होना नहीं पाया, केरोसीन वितरण हेतु अप्रमाणित लोहे के नाप व आधा लीटर केरोसीन माप हेतु प्लास्टिक का नाप होना पाया जो विभाग के निर्देशों का उल्लघंन है। पोश मशीन खराब हो जाने पर या नेटवर्क की अनुपलब्धता पर निरीक्षणकर्ता वक्त जॉच स्टॉक का संधारण नियमित रूप से किया जायेगा, परन्तु इस उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना पाया गया। जॉच प्रतिवेदन अनुसार डीलर स्तर पर बरती गई अनियमिताओं के मध्यनजर विभागीय प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

अपीलान्ट डीलर द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार दुकान के पास स्थित कमरे में 13.90 क्विं गेहूँ एवं 3 किलो 700 ग्राम लेवी चीनी रखी हुई थी। अस्थाई दुकान होने के कारण चाबी घर पर होने से निलम्बन पश्चात अपीलान्ट द्वारा उक्त गैहू व चीनी अस्थाई डीलर को स्टॉक सुपुर्द कर दिया गया। रांजलौता में की अस्थाई दुकान होने से अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र व नक्शा अपीलान्ट की दुकान पर था। अपीलान्ट द्वारा मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन निर्धारित प्रपत्र में कर दिया गया। भविष्य में लोहे के माप से ही केरोसीन का वितरण करने का कथन किया। अपीलान्ट स्थाई उचित मूल्य दुकान मांझी में वितरण करने के कारण राजलौता में श्री रामनिवास नामक व्यक्ति द्वारा वितरण किया जा रहा था। स्टॉक रजिस्टर घर रहने परन्तु भविष्य में दुकान पर रखने एवं पोस मशीन से ही वितरण किये जाने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में जारी कारण बताओं नोटिस के तहत लम्बित कार्यवाही का निस्तारण का निवेदन किया।

प्रकरण में अपीलान्ट को पर्याप्त साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट स्वंय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बरती गई कुछ अनियमितताऐ के संबंध में सुधार कर लिये जाने एवं अन्य कुछ अनियमिताओं के संबंध में भविष्य में सुधार कर लेने की वचनबद्धता जाहिर की गई है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र में वर्णित शर्तों का उल्लघंन तो किया ही गया है। अपीलान्ट द्वारा स्वंय अपनी मूल उचित मूल्य दुकान मांझी में वितरण करने स्टॉक रजिस्टर घर पर रहने, 13.90 क्विं गेहूँ तथा 3 किलो 700 ग्राम लेवी चीनी दुकान के पास स्थित कमरे में रखने का बहाना बनाकर प्राधिकार पत्र निलम्बन के पश्चात राजलौता उचित मूल्य दुकान के अस्थाई संचालन हेतु अधिकृत डीलर को स्टॉक सुपुर्द करना बताया है, जबकि निरीक्षण उपरान्त वितरण का रिकार्ड एवं अवशेष स्टॉक संभलाने का कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका चार्ज रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा कम पाये गये गैहूँ तथा चीनी नौरती देवी डीलर लूणियास को सुपुर्द किया जाना प्रतीत होता है। परन्तु अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन किया गये जाने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट तथा प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन)की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार की अस्थाई रूप से संचालन हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान राजलौता का दौरान निरीक्षण दिनांक 14.11.2016 को जिला रसद अधिकारी नागौर के नेतृत्व में क्षैत्रिय प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन निरीक्षक जायल द्वारा निरीक्षण/जॉच के दौरान अपीलांट स्वंय उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित नहीं मिला एवं बिना अनुमति वक्त जॉच रामनिवास द्वारा राशन सामग्री का अनाधिकृत रूप से वितरण कार्य करना पाया गया तथा श्री कैलाशचन्द द्वारा सहायक रूप में संचालन करना पाया। तत्समय मौका जॉच फर्द अनुसार मौके पर श्री रामनिवास एवं कैलाशचन्द्र की उपस्थिति में उपलब्ध राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन्न में पोश मशीन पर दर्ज स्टॉक की स्थिति के अनुसार 18.90 क्विं गेहूँ एवं 3 किलो 700 ग्राम चीनी स्टॉक में उपलब्ध होनी चाहिए परन्तु उचित मूल्य दुकान में 13.90 क्विं गेहूँ एवं 3 किलो 700 ग्राम लेवी चीनी कम पाई गई। मौके पर वक्त जॉच प्राधिकार पत्र, दुकान का नक्शा एवं स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया, स्टॉक एवं मूल्य सूची पट्ट की पूर्ति व सहज पठनीय होना नहीं पाया, केरोसीन वितरण हेतु अप्रमाणित लोहे के नाप व आधा लीटर केरोसीन माप हेतु प्लास्टिक का नाप होना पाया जो विभाग के निर्देशों का उल्लघंन है। अपीलान्ट डीलर द्वारा प्रस्तुत

कलक्टर, नागौर

स्पष्टीकरण के अनुसार दुकान के पास स्थित कमरे में 13.90 क्विं गेहूँ एवं 3 किलो 700 ग्राम लेवी चीनी रखी हुई थी। अपीलान्ट की अस्थाई दुकान होने के कारण चाबी घर पर होने से निलम्बन पश्चात अपीलान्ट द्वारा उक्त गेहू वं चीनी अस्थाई डीलर को स्टॉक सुपुर्द कर दिया गया। राजलौता में अपीलांट की अस्थाई दुकान होने से अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र व नक्शा अपीलान्ट की दुकान पर था। अपीलान्ट द्वारा मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन निर्धारित प्रपत्र में कर दिया गया। भविष्य में लोहे के माप से ही केरोसीन का वितरण करने का कथन किया। अपीलान्ट स्थाई उचित मूल्य दुकान मांझी में में वितरण करने के कारण राजलौता में श्री रामनिवास नामक व्यक्ति द्वारा वितरण किया जा रहा था। स्टॉक रजिस्टर घर रहने परन्तु भविष्य में दुकान पर रखने एवं पोस मशीन से ही वितरण किये जाने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में जारी कारण बताओं नोटिस के तहत लम्बित कार्यवाही का निस्तारण का निवेदन किया।

अपीलान्ट स्वंय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बरती गई कुछ अनियमितताऐ के संबंध में सुधार कर लिये जाने एवं अन्य कुछ अनियमिताओं के संबंध में भविष्य में सुधार कर लेने की वचनबद्धता जाहिर की गई है। साथ ही वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में दौराने बहस सूची दस्तावेज के साथ प्रस्तुत फर्द मौका चार्ज दिनांक 24.11.16 के अनुसार जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश क्रमांक–रसद/प्राधि./2016/1611 की अनुपालना में ग्राम राजलोता में दुर्गाप्रसाद अस्थाई दुकानदार मांझी से कार्यभार नौरतीदेवी डीलर लूणिया को पोस मशीन, गेहूँ, केरोसीन, चीनी, स्टाक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर का हस्तान्तरण किया गया है, उक्त मौका चार्ज रिपोर्ट पर प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना व जिला रसद अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त फर्द मौका चार्ज रिपोर्ट के अनुसार जो गेहूँ, व चीनी विभाग द्वारा कम होना बताई गई वह अपीलान्ट द्वारा नौरती देवी डीलर लूणियास को सुपुर्द कर दी गई है। प्रवर्तन निरीक्षक ने भी कथन किया है कि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका चार्ज रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा कम पाये गये गैहूँ तथा चीनी नौरती देवी डीलर लूणियास को सुपुर्द किया जाना रिकार्ड पर आया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जेर अपील अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करने की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर